राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना सीकर

न्यायालय बइजलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति० जिला कलक्टर, नीमकाथाना सीकर
पीठासीन अधिकारी का नामः– अनिल कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्याः– 75/2022

उनवान

1. उमाशंकर पुत्र स्व. रामनाथ जाति ब्राहमण निवासी होद तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी कमला भवन, झोला साही, कटक, ओडिशा जरिए मुख्तयार वासुदेव पुत्र उमाशंकर जाति ब्राहमण निवासी होद तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी प्लाट नं. 60 रामदेव नगर 5ए कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर

———अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार, नीमकाथाना सीकर

————रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.07.2022 न्यायालय तहसीलदार महोदय खण्डेला जिला सीकर उनवानी प्रहकरण सरकार बनाम ओमाशंकर अन्तर्गत धारा 91 रा.भू. राजस्व अधिनियम मु.न. 126/2021

उपस्थितः– श्री सुशील कुमार अग्रवाल, एड. ————अपीलान्ट

निर्णय दिनांकः– 14.11.22

अपील अपीलान्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का दुल्हेपुरा ने एक गलत रिपोर्ट दिनांक 13.08.2021 बनाकर तहसीलदार खण्डेला के यहां प्रस्तुत कि जिस पर अपीलान्ट/अप्रार्थी को दिनांक 27.08.2021 को उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट कि ओर से उनके अधिवक्ता व अपीलान्ट के पुत्र वासुदेव ने दिनांक 27.08.2021 को उपस्थित हुये और उसके बाद आगामी पेश पर जवाब नोटिस पेश किया। उस जवाब नोटिस में माननीय न्यायालय सिविल न्यायधीश वरिष्ठ खण्ड श्रीमाधोपुर में दर्ज वाद दिनांक 28.02.2002 निर्णय कि प्रतिलिपी पेश कि जिस पर तहसीलदार खण्डेला ने इस संबंध में जांच रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक रलावता, पटवारी हल्का दुल्हेपुरा ग्राम विकास अधिकारी, दुल्हेपुरा में मंगवायी। इस पर पटवारी हल्का, भू. अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 27.07.2022 को अपनी पर्चा मौका व जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया कि उक्तानुसार न्यायालय तहसीलदार खण्डेला मु.नं. 126/2021 व 128/2021 में वर्णित खसरा नं. 771 रकबा 0.21 है0 किस्म गै.मु.रास्ता माननीय न्यायालय सिविल न्यायधीश वरिष्ठ खण्ड श्रीमाधोपुर द्वारा जारी निर्णय दिनांक [illegible]2 से पूर्णतः मिलान नहीं होता है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 28.0[illegible]22 [illegible] निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के छोटे भाई सुखदेव ने एक वाद–पत्र उनवानी सुखदेव बनाम [illegible] सरकार मु.नं. 26/97 बी.टी.नं. 186/2000 माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड [illegible]धोपुर के यहां दिनांक 28.01.97 को इस आशय का पेश कि वादी(सुखदेव) व प्रतिवादी नं. 04 (उमाशंकर) का एक पट्टाशुदा आबादी [illegible]खण्ड ग्राम होद तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसकी सीमा निम्न प्र[illegible] है। उत्तर में होद से प[illegible]ानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:05:44 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

वाली सड़क, दक्षिण में सरकारी भूमि, पूर्व में रींगस से खण्डेला वाली सड़क, पश्चिम में सरकारी जमीन आबादी भू–खण्ड कि लम्बाई 45 गज व चौड़ाई 45 गज सम्पूर्ण 2225 वर्ग गज का क्षेत्रफल का आबादी भू–खण्ड है। इस पर नोटिस जाने पर ग्राम पंचायत दुल्हेपुरा ने जवाब दावा प्रस्तुत कर न्यायालय से निवेदन किया कि मुताबिक इस्तदुआ वाद–वादी डिक्री फरमाया जावें। प्रकरण की सुनवाई कर वादीगण का वाद एक पक्षीय इस प्रकार डिक्री किया कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद–पत्र के पैरा नं. 1 में भू–खण्ड से वादी को बेदखल नहीं करें। अपीलान्ट व अपीलान्ट के छोटे भाई आवासीय भू–खण्ड के मालिक है। पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक कि रिपोर्ट में अंकित तथ्यों में कोई विरोधाभास किसी भी किसम का नहीं है। तहसीलदार ने रिपोर्ट को गहनता से नहीं देखकर जो निर्णय पारित किया है। वह अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट कि अनुपस्थिती का फायदा उठाकर पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने गलत रिपोर्ट दिनांक 27.07.2022 को तहसीलदार को प्रस्तुत कि है। तहसीलदार खण्डेला ने निर्णय व डिक्री का गहनता से अध्ययन नहीं कर सरसरी तौर पर ही विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। दिनांक 23.08.2022 को जारी कि गई प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होने पर अपीलान्ट के लड़के वासुदेव शर्मा ने अपीलान्ट को इस बारे में सूचित किया। तो उन्होनें ने तहसीलदार खण्डेला के निर्णय कि अपील हेतु अपने पुत्र वासुदेव शर्मा के हक में मुख्तयारनामा दिनांक 16.09.2022 को नोटेरी पब्लिक कटक ओड़िशा से सत्यापित करवाकर भिजवा दिया।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर तहसीलदार खण्डेला द्वारा दिनांक 28.07.2022 को उनवानी प्रकरण सरकार बनाम उमाशंकर मु.नं. 126/2021 में पारित निर्णय अपास्त फरमाया जावें।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का जो प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। जिस पर वकील अपीलान्ट को सुना गया एवं प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया जाकर प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का न्याय हित में स्वीकार किया जाता है।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि गई एवं जरिये नोटिस रेस्पो. को तलब किया गया। रेस्पो. बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई एवं अपील पर बहस वकील अपीलान्ट से एक पक्षीय सुनी।

वकील अपीलान्ट कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्री[illegible] द्वारा पारित निर्णय व डिक्री कि प्रति पेश कि है जिसमें अंकित किया है कि प्रतिवादीगण को स्थाई [illegible] किया जाता है कि वाद–पत्र के पैरा नं. 01 में उल्लेखित भू–खण्ड से वादी को बेदखल [illegible] उक्त भू–खण्ड का दिनांक 14.12.1964 को ग्राम पंचायत दुल्हेपुरा द्वारा अपीलान्ट के पिता रामनाथ के हक में पट्टा जारी किया गया है। जिसकी फोटोप्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया जाना जरूरी है। अतः मौके पर अतिक्रमण वाली जगह व माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय में वर्णीत भूमि एक ही है। इसको तय किया जाना जरूरी है। इस आधार पर अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है तथा तहसीलदार खण्डेला के मु.नं. 126/2021 निर्णय दिनांक 28.07.2022 को अपास्त किया जाता है। अतः पत्रावली तहसीलदार खण्डेला को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित कि जाकर निर्देशित किया जाता है कि आप सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2002 का पुनः गहनता से अध्ययन करें एवं मौके पर टीम गठित कर पुनः चारो दिशाओं का माप कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें। निर्णय कि पालना हेतु तहसीलदार खण्डेला को निर्णय छायाप्रति तहरीर के साथ भेजी जावें।

उक्त आदेश आज दिनांक 14.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:05:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner